

अनुसूचित जाति/जनजाति के परीक्षार्थियों के नाते परीक्षा शुल्क में छुट प्रदान करने विषयक प्रपत्र

1. परीक्षार्थी का शपथ-पत्र

मैं श्री/श्रीमति/कुमारी.....आत्मज/आत्मजा पत्नि/श्री.....
 शपथपूर्वक कहता/कहती हूँ कि मैं ग्राम तहसील जिला.....
 का/की मूल निवासी हूँ। मेरी अनुसूचित जाति/जनजाति (उपजाति/उपजनजाति है) तथा
 मेरा धर्म है, मेरी अनुसूचित जाति/जनजाति सूची के स.क्र.....पर अंकित है।

1. मण्डल की वर्षकी हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा में बैठने का मेरा पहला अवसर है।
2. मेरी तथा मेरा परिवार का समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 150000 से 200000 रु. से अधिक नहीं है।
3. अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र तथा आय प्रमाण पत्र की फोटो प्रति संलग्न है।

दिनांक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर एवं नाम

2. शाला का प्रमाणीकरण

छात्र/छात्रा/श्री/कुमारी आत्मज/आत्मजा पत्नि/श्री.....
 द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र के अनुसार छात्र/छात्रा की अनुसूचित जाति/जनजाति.....
 (उपजाति/उपजनजाति.....) है। छात्र का धर्म..... है।

1. छात्र/छात्रा का मण्डल को वर्ष की हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा में बैठने का पहला अवसर है।
2. छात्र/छात्रा द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र की मेरे द्वारा प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न है।
जिसके अनुसार छात्र एवं उसके परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 150000से 200000 रु. अधिक नहीं है।
3. छात्र को अधिकृत द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र की मेरे द्वारा प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न हैं। जिसका मैंने मूल जाति प्रमाण पत्र से मिलान कर लिया है।

संलग्न - उपरोक्तनुसार

संस्था कोड

शाला प्रचार्य (संस्था प्रमुख) के हस्ताक्षर
 एवं पद मुद्रा

राज्य शासन द्वारा जाति/आय प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निम्न अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य स्तर के अधिकारियों द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। मान्य जातियों की सूची परिशिष्ट (एक) में देखें।

1. कलेक्टर / एडीशनल कलेक्टर / डिप्टी कलेक्टर / एस.डी.ओ. / सब डिवीजनल मजिस्ट्रेड / सिटी मजिस्ट्रेड
2. तहसीलदार
3. नायब तहसीलदार
4. परियोजना प्रशासक - अधिकारी (वृहत / मध्य / लघु) एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना

छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जातियाँ

1. औथेलिया 2. बागरी बागड़ी 3. बहना, बहाना, 4. बलाही बलाई 5. वांछड़ा 6. बराहर बसोड़ 7. बरगूड़ा 8. बसोड़, वरूड़ बंसोर बंसोड़ बांसफोड़ बसार, 9. बेडिया, 10. बेलदार सुनकर, 11 भंगी, मेहतर, बाल्मीकी, ललावेगी, धरकर, 12 भानूमति, 13 चंडार, 14. चमार, चमारी, बैरवा, भावी, जाटव, मोची, रैगर, नौना, रोहीदास, रामनामी, संतनामी, सूर्यवर्षी, सूर्यरामनामी, आहिवार, चमार, मांगन, रैदास, 15. चिड़ार, 16. चिकवा, चिकवी, 17. चितार, 18. दहायत दहैत, दाहत, 19. देवार, 20. धानुक, 21. ढेड ढेर, 22. डोहार, 23. डोम डुमार, डोम डोमार, डोरिस, 24. गाड़ा, गाड़ी, 25. घासी, घसिया, 26. होलिया, 27. कंजर, 28. कतिया, पथरिया, 29. खटिक, 30. कोली, कोरी, 31. खंगार, कनेरा, मिरधा, 32. कुचबधिया, 33. महार, मेहरा, मेहर, 34. मांग मांगगरोड़ी, मांगगरूडी, दनखनी मांग, मांग महाशी, मदारी, गरूडी, राधे मांग, 35. मेधवाल, 36. मोधिया, 37. मुसखान, 38. नट, कालबेलिया, सपेरा, नवदिगार, कुबुतर, 39. पासी 40. रूज्जर, 41. सांसी, संसिया 42. सिलावट, 43. झमराल

छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियाँ

1. अगरिया, 2. आंध, 3. बैगा, 4. भैना, 5. भारियर, भुमिया, भुइंहर भूमिया, भारिया, पलिहा पांडी 6. भतरा, 7. भील, भिलाला, बरेला, पटलिया, 8. भील मीना, 9. भुन्जिया, 10. बिभर, बियार, 11. बिन्झवार, 12. बिरहुल, बिरहोल, 13. डोमार, डमोरिया, 14. धनवार, 15. गड़वा गढ़वा, 16. गोड़ अरख, अगरिया, असुर, बड़ी, मारिया, बड़ा मारिया, भटोला, भिम्मा, भूता, कोइला भूता, कोइयाभूती, भार बायसन, हार्न मारिया, छोटा मारिया, दंडामी मारिया धुरु धुर्वा, धुलिया, दोरला, नायकी, गल्ली, गौड़, गोवारी, हिल मारिया, कान्द्रा, कलंगा, खटोला कोइतार कोया, खिरवारा, कुचा माड़िया, कुचाकी मरिया, मारिया, माना, मन्नेवार, मोधिया, मोगिया, मुडिया, नागारची, नागवंशी, ओझा, राज सोनझरी, झरेका, थाटिया, थोट्या, बड़े मारिया दरोई, 17. हलबा, हलबी, 18. कमार, 19. कारकू, 20. कंबर, कवंर, कोर, चेरवा, राटियां, तंवर क्षत्री, 21. खैरबार, कौंदर, 22. खारिया, 23. कोंध, खोड़, कांध 24. कोल, 25. कोलम, 26. कोरकू वोंपची, मोवसी, निहाल, नाहुल, बांधी, बोड़ेया 27. कोरवा कोडकू, 28. मांझी, 29. मझवार, 30. मंवासी, 31. मुण्डा, 32. नागेसिहया, नगासिया, 33. उरांव, धपवार, धनकर, धनगड़, 34. पाव 35. परधान, 36. पारधी, बहेरिया, बहेल्लिया, चिता, पारधी, लंगोली पारधी, फांस पारधी, शिकारी टाकनकर, टाकिया ।

1. बस्तर, दंतेवाडा, रायगढ़, जशपुर, सरगुजा तथा कोरबा जिले में, 2. कोरबा जिले कटघेरा पाली करतला और कोरबा तहसील में 3. बिलासपुर जिले के बिलासपुर, पेंड्रा, कोटा और तखतपुर तहसील में 4. दुर्ग जिले के दुर्ग, पाटन धमधा तहसील, 5. जिला - बालोद के बलोद, गुण्डरदेही, गुरुर डौडी लोहारा और धमधा तहसील में 6. राजनांदगांव जिले के चौकी, मानपुर और मोहला रजस्व निरीक्षकों के क्षेत्रों में 7. महासमुंद जिले के महासमुंद, सरायपाली और बसना तहसील में, 8. रायपुर जिले के बिन्द्रानवागांव, राजिम और देवभोग तहसील में 9. धमतरी जिले के धमतरी, कुरुद और सिहावा तहसील में । 37. परजा, 38. सहारिया, सेरिया, सोसीया, सोर, 39. साओंता, सोता, 41. सावर, सवरा, 42. सौर ।

- विशेष निर्देश :-
- अ. छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मान्य जाति के अलावा अन्य कोई जाति मान्य नहीं हैं। यदि कोई छात्र उक्त जाति के अलावा अन्य जाति का प्रमाण पत्र देगा तो वह मान्य नहीं होगा। उसे निर्धारित सम्पूर्ण शुल्क का भुगतान करना होगा।
 - ब. अनुसूचित जाति / जनजाति के छात्रों को जाति प्रमाण पत्र में इस सूची में अंकित जाति का सं. क्र. अंकित करना अनिवार्य है।
 - स. कलेक्टर (आदिम जाति कल्याण विभाग) रायपुर छत्तीसगढ़ के अनुसार मुस्लिम धर्म मानने वाले व्यक्ति अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में नहीं आते। केवल अनुसूचित जनजाति के वे व्यक्ति जो ईसाई धर्म अपना लिए हैं वह अनुसूचित जाति के मिलने वाले लाभ के हकदार हैं तथा अनुसूचित जाति के जो भी व्यक्ति बौद्ध धर्म अपना लिए वे पिछड़ी जाति को मिलने वाले के हकदार हैं।